संख्या–16 / नौ–1–सिं0(01 बजट / 03) / 04

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 19 जनवरी, / 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष–2003–04 हेतु आयोजनागत मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–2004 / वि0अनु0–1 / 2003 दिनांक 30.06.2003, शासनादेश सं0 01 / नौ–1–सिं0 (बजट) / 2003 दिनांक 22.04.2003, शासनादेश सं0 01 / नौ–1–सिं0 (बजट) / 2003 दिनांक 29.07.2003 एवं शासनादेश सं0 5847 / नौ–1–सिं0 (01 बजट) दिनांक 18.11.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक–1 में वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रू 112.50 (रूपये एक करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जायें, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जायें जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृति करा लियें जाय।

क्रमशः.....2

3— उक्त व्यय में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा इस विषय में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4— स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0 उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

5— जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

6— इस धनराशि का आहरण दो किस्तों में किया जायेगा और द्वितीय किस्त तब ही आहरित की जायेगी, जब प्रथम किस्त के द्वारा स्वीकृत धनराशि का 80प्रतिशत तक उपयोग कर लिया गया हो। अगली किस्त तब ही स्वीकृत की जायेगी जब अवमुक्त की जा रही इस धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर लिया जाय, और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जाय।

7— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

10— कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11— जिला योजना के पहले चरण मे केवल अधूरे कार्यो को ही पूर्ण किया जायेगा, और इनके पूर्ण होने पर ही नये कार्य लिये जायेगें। जिला योजना के अन्तर्गत उन्ही योजनाओं पर धनराशि व्यय की जायेगी जो योजनायें जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हीं हो।

क्रमशः.........3

12— स्वीकृत की जा रही धनराशि उपभोग 31.03.2004 तक कर दिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003—04 मे अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संलग्नक—1 में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—2485/वि0अनु0—3/2003 दिनांक, 17 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः—यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या 01(1)/नौ—1—सिं0 (बजट)/2003/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2— वित्त विभाग (वित्त अनुभाग—3), उत्तरांचल शासन।
3— श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6— निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8— समस्त कोषाधिकारी /जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9— प्रभारी, शासनादेश प्रकोष्ठ सूचना एवं प्रौधौगिकी, (N.I.C.), सचिवालय परिसर दे0दून।
10— गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः—यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

शासनादेश सं016/नौ–1–सिं0 (01 बजट/03)/04 दिनांक जनवरी,04 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	प्रस्तावित आवंटन
1	4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय	
	01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यक	
	03–निर्माण कार्य	
	104–लखवाड व्यासी बांध परियोजना	
	24–वृहद निर्माण कार्य	50.00
2	121–जमरानी बांध	
	03–निर्माण बांध	
	24–वृहद निर्माण कार्य	5.00
3	03–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	
	052–मशीनरी तथा उपस्कर	
	03–नवीन सम्पूर्ति	
	12–कार्यालय फर्नीचर तथा उपकरण	2.50
4	80–सामान्य	
	003–प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	03–निर्माण कार्य	
	42–अन्य व्यय	12.50
5	004–शोध कार्यक्रम का विस्तार	
	03–निर्माण कार्य	
	42–अन्य व्यय	22.50
6	005–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	
	03–निर्माण कार्य	
	42–अन्य व्यय	20.00
	योग–	112.50

(रूपये एक करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र)

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।